


कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:- एफ()लेखा/वॉम/प्रमुवसं/2016-17/10005-10115 दिनांक 21/2/2017

समस्त वनाधिकारी,

विषय:- बजट मद 8550-101 वन अग्रिम को वॉम मॉड्यूल पर अपडेशन करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट मद 8550-101 वन अग्रिम को वॉम मॉड्यूल पर अपडेशन करने के संबंध में निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ. 5(थ-75)कोष/IFMS/WAM/2016/15780 दिनांक 09.02.2017 द्वारा उक्त मद हेतु वॉम मॉड्यूल में प्रावधान कर दिया गया है। जिसमें खण्डीय कार्यालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय से मिलान किये गये प्रारम्भिक शेष कोषालय स्तर से डलवाये जा सकते हैं। अग्रिम राशि के समायोजन हेतु बिल बनाने एवं समायोजना पश्चात शेष राशि जमा कराने हेतु चालान जनरेट करने का विकल्प खण्डीय कार्यालयों के स्तर पर उपलब्ध करा दिया गया है।


अतः नियमों के परिप्रेक्ष्य में WAM मॉड्यूल पर उपलब्ध कराये गये विकल्पों की जांच कर फीडबैक से इस कार्यालय को अवगत करावे। तथा वन अग्रिम का समायोजन दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण करना भी सुनिश्चित करें।


वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ()लेखा/वॉम/प्रमुवसं/2016-17/

दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, अरण्य भवन, को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की साईट पर अवलोड करने का श्रम करें।


वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।